अ0शा0 परिपत्र सं: 27/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

दिनॉकः अगस्त 23, 20120

विषयः— निकट भविष्य में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020 की तैयारी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा—निर्देश

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि शान्ति—व्यवस्था बनाये रखना एवं अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखना पुलिस का मुख्य कार्य है । जनता का पुलिस से सहयोग एवं पुलिस में विश्वास तभी बना रह सकता है, जब पुलिस अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालन करे । पुलिस की छवि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आम लोग पुलिस को अपना मित्र समझें और समाज के लिये बने खतरनाक लोगों के मन में पुलिस का भय हो ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष निकटतम समय त्योहारों का समय है । वर्ष 2020 के अंत में पंचायत चुनाव होना सम्भावित है जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है । इस परिवेश में शान्ति—व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हमारे लिये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों का अतयंत ही सूझ—बूझ एवं धैर्य से सामना करते हुये प्रदेश की जनता को उच्चकोटि की पुलिस व्यवस्था प्रदान करने में सफल होंगे ।

हमें प्रजातंत्र के एक अहम चुनाव अर्थात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी तैयार होना है । हम सभी अवगत हैं कि इन चुनावों में संवेदनशीलता चरम पर होती है । अतः चुनाव के समय से बहुत पहले हमें प्रत्येक गांव की संवेदनशीलता आंकते हुये सम्भावित अपराधों एवं विपरीत कानून—व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वाली घटनाओं के प्रति पूर्ण तैयारियां करनी होंगी तथा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही भी करनी होगी । साथ ही साथ चुनाव के लिये वृहद रूप से जनपद में उपलब्ध पुलिस बल का उचित प्रबन्धन एवं अन्य व्यवस्थायें भी समय रहते करनी होंगी । इस दिशा में भी आप पूर्व के चुनाव में की गयी तैयारियों एवं घटित घटनाओं का अध्ययन करते हुये वर्तमान संवेदनशीलता का आंकलन कर लेंगे एवं उचित पुलिस व्यवस्थायें लागू करेंगे ।

वर्तमान में कोरोना (कोविड—19) वायरस के संक्रमण के कारण काफी समय से न्यायिक संस्थायें प्रायः बंद रही हैं जिनके कारण ग्राम पंचायतों की छोटी—छोटी घटनायें कतिपय मामले जिनमें परम्परागत रास्ता रोका गया हो, पानी—नाली का बहाव रोका गया हो अथवा परम्परागत पानी के स्रोत पर पाबन्दी लगायी गयी हो, पट्टीदारी, नाली नाबदान, रास्ते/मेड़ विवाद, आबादी की भूमि आदि मामले जो लम्बित हैं उन्हें राजस्वकर्मियों के साथ स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर सम्बन्धित न्यायिक क्षेत्र से इसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करा लें ।

Scanned by CamScanner

मेरा मानना है कि ऐसी छोटी–छोटी घटनाओं के जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति यदि हम सब विशेषकर वरिष्ठ अधिकारी सतर्क हो जायें और हर एक मामले में वास्तविक दोषी पक्ष के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही करें तो प्रदेश में हम सहजता से कानून–व्यवस्था सुदृढ़ कर सकेंगे ।

अतएव आवश्यक है कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अभी से तैयारी शुरू कर दी जाये । इस हेतु आपके मार्गदर्शन हेतु सुझाव अनुपालनार्थ निम्नवत् हैं :–

(अ) प्रत्येक थाने पर बीटवार एक ग्राम/मोहल्ला चुनाव एवं भूमि विवाद रजिस्टर बनाया जाये । इस रजिस्टर में निम्नांकित सूचनायें अंकित की जायें –

- ग्राम/मोहल्ले का नाम ।
- विवाद की प्रकृति ।
- विवाद का कारण ।
- दोनों पक्षों के प्रमुख व्यक्तियों का नाम, पता आदि अंकित किया जाये ।
- समझौते का विवरण तिथिवार ।
- सम्बन्धित ग्राम/मोहल्ला को प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/उप निरीक्षक हल्का/हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल हल्का ने किस तारीख को चेक किया, अधिकारी का नाम, दिनांक तथा जीडी नम्बर सहित अंकित किया जाये (रवानगी तथा वापसी दोनों का उल्लेख हो) ।
- समझौते का सही प्रकार से पालन हो रहा है या नहीं, इस हेतु बाद में भी इस ग्राम/मोहल्ले की चेकिंग/निगरानी हेतु जाने वाले पुलिस आरक्षी/उप निरीक्षक हल्का प्रभारी का नाम, पदनाम, दिनांक व जीडी नम्बर (रवानगी तथा वापसी दोनों का उल्लेख हो) ।
- समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण :–
  - धारा 151/107/116 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का तिथिवार विवरण ।
  - धारा 116 (3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पाबंद किये जाने का दिनांक ।
  - लाइसेन्सी सदस्य का लाइसेन्स निरस्त कराने के लिये रिपोर्ट दी गयी या नहीं ?
  - यदि नहीं तो कारण अंकित किया जाये ।
  - सम्बन्धित लाइसेन्सी शस्त्र व लाइसेन्स व कारतूस जमा कराये जाने का दिनांक ।
- दानों पक्षों द्वारा अंकित करायी गये हस्तक्षेपीय/अहस्तक्षेपीय अपराधों का विवरण, चाहे वह किसी भी थाने पर अंकित कराया गया हो, प्रत्येक अपराध के सामने विवेचना व न्यायालय का परिणाम भी अंकित किया जाये ।
- बीट सूचना यदि कोई अंकित करायी गयी हो तो उसका विवरण व की गयी कार्यवाही ।
- ग्राम में प्रचलित ऐसे विवाद जिसे लेकर चुनाव में मुद्दा बन सकता है या विवाद हो सकता है, का विवरण ।
- आगामी पंचायत चुनाव में सम्भावित प्रत्याशियों का नाम, पता व उनके पूर्व आपराधिक इतिहास का विवरण ।

Scanned by CamScanner

- वर्ष 2010 व 2015 में हुये ग्राम पंचायत चुनाव में जिन व्यक्तियों के विरूद्ध चुनाव सम्बन्धी अभियोग पंजीकृत हुये हैं उनके नाम, पता व उनकी वर्तमान गतिविधियॉ । क्या उनके विरूद्ध वर्तमान में निरोधात्मक कार्यवाही की जरूरत है ? यदि है तो की गयी कार्यवाही का विवरण ।
- वर्ष 2010 व 2015 में सम्पन्न हुये ग्राम पंचायत चुनाव में घटित घटनाओं का विवरण व पंजीकृत किये गये अभियोगों की वर्तमान स्थिति (चुनाव से पूर्व, चुनाव के दिन व चुनाव के बाद) ।
- विगत 05 वर्ष में प्रकाश में आये गॉव के अवैध शराब बनाने व बिक्री करने वाले व्यक्तियों के नाम, पते व उनकी वर्तमान गतिविधियॉ ।
- विगत 05 वर्षो में प्रकाश में आये गॉव के अवैध अस्त्र–शस्त्र का निर्माण, तस्करी व खरीद–फरोख्त में लिप्त व्यक्तियों के नाम व पते । जुआ, सट्टा कराने वाले व मादक पदार्थों को बेचने वाले व्यक्तियों का विवरण ।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में हिस्ट्री शीटरों के नाम व उनकी वर्तमान गतिविधियॉ ।
- गॉव के के गो–तस्करी/गोकशी की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों का विवरण ।
- ग्राम पंचायत में सक्रिय आपराधिक गुण्डों/अपराधियों/असामाजिक तत्वों के नाम, पते व उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण ।

(ब) **थाने पर प्राप्त लिखित/मौखिक शिकायतों में से विवादों के प्रकरणों को छांटकर उसकी प्रविष्टि उपरोक्त रजिस्टर में की जाये । उपरोक्त समस्याओं के सम्बन्ध में थाने पर प्रेषित किये गये शिकायती प्रार्थना–पत्रों के अतिरिक्त ऐसे प्रार्थना–पत्र विभिन्न अधिकारियों को भी प्रेषित किये जाते हैं जो अन्ततोगत्वा थाने पर ही कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिये जाते हैं । इन प्रार्थना–पत्रों के प्राप्त होने पर रजिस्टर में प्रविष्टि करें ।**

- इसके अतिरिक्त थाने के पुराने अभिलेखों का परिशीलन करें व तहसीलदार व बी0डी0ओ0 कार्यालय एवं वहां नियुक्त कर्मियों से भी जानकारी करें जिससे क्षेत्र में अन्य प्रचलित विवादों की भी पूर्ण जानकारी हो सके ।
- ऐसे भी कतिपय गॉव/मोहल्ले हैं, जहॉ यद्यपि विवाद है, परन्तु भयवश या अन्य किसी कारणवश थाने या उच्चाधिकारियों तक सूचना नहीं दी जाती है । ऐसे प्रकरणों की भी जानकारी थानाध्यक्ष/हल्का इन्चार्ज/बीट आरक्षी अपने क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर एकत्र करें । इस प्रकार हर एक स्रोत से जानकारी कर अपने क्षेत्र के समस्त विवादों का चिन्हीकरण कर इस रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि की जाये ।
- इसके पश्चात थानाध्यक्ष/हल्का उप निरीक्षक मय बीट आरक्षी के तत्काल विवाद वाले ग्राम/मोहल्ले में स्वयं जायें तथा मौके पर दोनों पक्षों के बीच यथासम्भव समझौता करायें । अधिक से अधिक मामलों को समझौता करा कर सुलझाने के लिये प्रयास करें ।
- थानाध्यक्ष दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर सभी समझौते लिखित रूप में करायें तथा ग्राम/मोहल्ले के संभ्रान्त व्यक्तियों की सहभागिता प्राप्त करें । सभी लिखित समझौतों का अंकन ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में करें ।
- यदि समस्या भूमि विवाद से सम्बन्धित हो तो ऐसे प्रकरणों में राजस्व कर्मियों से सहयोग प्राप्त कर समझौता कराने का यथासम्भव प्रयास करें ।
- थानाध्यक्ष/हल्का उप निरीक्षक सम्बन्धित बीट आरक्षी समझौते के बाद भी सतर्क दृष्टि रखें । किसी पक्षकार द्वारा समझौते की शर्तों का पालन न करने की स्थिति

Scanned by CamScanner

में थानाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को तुरन्त सूचित करते हुये निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।

- धारा 107/116 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजें, धारा 107/116 (3) दं0प्र0सं0 की कार्यवाही करना, विवाद के स्थान पर पुलिस का पिकेट अथवा सशस्त्र पुलिस की गार्द नियुक्त करना, दोषी पाये गये व्यक्तियों को 151 दं0प्र0सं0 अथवा किसी अन्य निरोधात्मक अथवा दण्डात्मक धारा में निरूद्ध करना या गिरफ्तार करना, दोनों पक्षों में यदि किसी सदस्य के पास कोई लाइसेंसी असलहे इत्यादि हों तो उनको थाने पर शीघ्र जमा करा कर लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही करना ।
- विवाद में सक्रिय भाग लेने वाले, हिंसा का सहारा लेने वाले तथा अपराधी तत्वों का सहयोग लेने वाले तत्वों को अवश्य पाबंद कराया जाये ।
- प्रायः देखा गया है कि विवाद के प्रकरणों में चालान किये गये व्यक्तियों को धारा 107/116 (3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पाबंद नहीं कराया जाता है तथा पाबंद कराये गये व्यक्तियों द्वारा पुनः अपराध करने पर उनकी पाबंदी की धनराशि की वसूली करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाती है । यह भी देखा गया है कि दोनों पक्षों के लोगों का काफी संख्या में अनावश्यक चालान कर दिया जाता है एवं कभी–कभी वृद्ध एवं अवयस्कों का भी चालान कर दिया जाता है जिसके कारण न्यायालयों से प्रतिकूल टिप्पणी होती है एवं चालान किये गये व्यक्ति पाबंद भी नहीं हो पाते हैं । निरोधात्मक (चालानी) कार्यवाही गुणात्मक होनी चाहिये । थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी चालानी रिपोर्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे ।
- विवादों के संबंध में प्रत्येक थानाध्यक्ष एक प्रमाण–पत्र अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उचित माध्यम से देंगे जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित करें कि उनके द्वारा थाना क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे विवादों का अंकन ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में कर लिया गया है तथा उप निरीक्षक हल्का द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा समझौता या जो भी निरोधात्मक कार्यवाही अपेक्षित थी समय से कर ली गयी है । ऐसे प्रमाण–पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की पेशी में उपलब्ध रहेंगे जिसे परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जोनल अपर पुलिस महानिदेशक भ्रमण के दौरान विशेष रूप से देखेंगे ।
- इसके बाद भी पुरानी रंजिश या विवाद के कारण यदि कोई हत्या, बलवा या अन्य कोई गम्भीर अपराध घटित होता है और यह पाया जाता है कि रंजिश/विवाद के प्रकरण में समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है तो ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये ।
- कोई ग्राम/मोहल्ले अत्यधिक संवेदनशील होते हैं । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद इन्हें चिन्हित करने हेतु उत्तरदायी होंगे । ऐसे ग्राम/मोहल्लों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें । किसी भी थाना क्षेत्र में समस्त विवादों के समाधान हेतु थानाध्यक्षों एवं तहसीलदार एवं बड़े प्रकरणों में क्षेत्राधिकारी यथासम्भव अपने समकक्षीय परगना अधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण कर समस्या के समाधान हेतु यथोचित कार्यवाही करेंगे । इसी प्रकार जनपद के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरणों में अपर पुलिस अधीक्षक यथासम्भव अपने समकक्षीय अपर जिला मजिस्ट्रेट के साथ स्थलीय निरीक्षण कर समस्या के समाधान हेतु यथोचित कार्यवाही करेंगे ।

Scanned by CamScanner

- समस्त राजपत्रित अधिकारी थाने का निरीक्षण करते समय उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण करें । यदि किसी प्रकरण में मात्र 107/116 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरांत थाने स्तर से अनुश्रवण नहीं किया गया है तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उप निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही की जाये ।

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियॉ भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो सकती हैं जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी ।

मैं चाहूंगा कि उपरोक्त बिन्दुओं का आप स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें । एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस संबंध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरतें तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1– पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर ।
2– समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद/रेलवे, उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध/रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ ।
2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/रेलवे, उ0प्र0 ।
4– पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ

Scanned by CamScanner